उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या- 101/2025/1346/छप्पन-2025-01/2016
लखनऊ; दिनांक: 21 नवम्बर, 2025

सामाजिक समाघात निर्धारण के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्र में, ग्राम/वार्ड स्तर पर यथास्थिति सम्बन्धित पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम, के परामर्श से निम्नलिखित भूमियां, लोकप्रयोजनार्थ अर्जित करना चाहती है और सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्यान्वित करना चाहती है। उक्त अध्ययन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा-4 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

- **अपेक्षक निकाय का नाम-** नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- **प्रस्तावित भूमि के अर्जन का प्रयोजन**- धनीपुर विमानपट्टी, अलीगढ़ का विस्तारीकरण।
- **अध्ययनकर्ता संगठन-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
- **संगठन का संपर्क सम्बन्धी विवरण-** गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर (201312)
- **भूमि का विवरण-**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
अलीगढ़	कोल	अलहदादपुर	14.0546
		ईकरी	1.5776
		खानगढ़ी	14.8313
		निजामतपुर बोरना	16.7849
		पनैटी	3.1213
		पिखलौनी	0.6540
		कुल	51.0237

- **प्रस्तावित परियोजना से होने वाले प्रसुविधा तथा संक्षिप्त विवरण-** धनीपुर विमानपट्टी, अलीगढ़ के विस्तारीकरण से दूरगामी क्षेत्र में हवाई यातायात सुलभ होगा जो रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।
- **परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल-** जिला अलीगढ़ की तहसील कोल के ऊपर उल्लिखित 06 ग्राम तथा अनुमानित 51.0237 हैक्टेयर भूमि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- **क्या ग्राम सभाओं और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति अपेक्षित है?** भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 2016 के उपबन्धों के अनुसार।
- **सामाजिक समाघात निर्धारण (एस0आई0ए0) पूर्ण होने का दिनांक- 25 जनवरी, 2026**

टिप्पणी- विवरण, समस्त कार्य दिवसों में (अर्जन के प्रयोजन हेतु) कलक्टर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आज्ञा से,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।